

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-08102020-222302
SG-DL-E-08102020-222302

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207]	दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 7, 2020/आश्विन 15, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 153
No. 207]	DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2020/ASVINA 15, 1942	[N. C. T. D. No. 153

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय प्रधान सचिव-सह-मंडलीय आयुक्त
(राजस्व विभाग)
(अल्पसंख्यक शाखा: मुख्यालय)
अधिसूचना

दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2020

फा. सं. 36(52)/समन्वय/मण्डलीय आयुक्त/2016/442-453.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी भारत का राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 19 अगस्त, 1996 की अधिसूचना संख्या यू011030/2/96 यूटीएल-एसओ 572 (ई) के साथ पठित वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) की धारा 14, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल, एतद् द्वारा श्री अमानतुल्लाह खान, दिल्ली विधान सभा के सदस्य, निवासी ए-9, ब्लॉक-ए, खजुरी रोड, जोगा बाई एक्सटेंशन, जामिया नगर, ओखला, दिल्ली-110025 को वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल अर्थात् अधिसूचना सं. एफ सं. 36(52)/समन्वय/मण्डलीय आयुक्त/2016/10076 दिनांक 27.08.2018 द्वारा गठित बोर्ड के शेष कार्यकाल के लिए, तत्काल प्रभाव से वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 (1)(बी) (ii) के अन्तर्गत दिल्ली वक्फ बोर्ड के निर्वाचित सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

नीचे सूचीबद्ध दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्यों की बैठक उपरोक्त कार्यकाल के लिए उक्त बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपने बीच में से एक सदस्य का चुनाव करने के लिए, प्रधान सचिव (राजस्व)-सह मण्डलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली-110054 के कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में दिनांक 19.10.2020 को 05 PM बजे होगी। बैठक की अध्यक्षता प्रधान सचिव (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा की जाएगी, जो अध्यक्ष के चुनाव के लिए कार्यवाही का संचालन करेंगे।

क्र. सं.	नाम	प्रावधान जिसके अन्तर्गत नियुक्त किया गया है
निर्वाचित सदस्य		
1	श्री परवेज हाशमी, पूर्व मुस्लिम संसद सदस्य	वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) के तहत निर्वाचित
2	श्री अमानतुल्ला खान, विधानसभा सदस्य	वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के तहत निर्वाचित
3	श्री हिमाल अख्तर, दिल्ली स्टेट बार काउंसिल के सदस्य	वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (iii) के तहत निर्वाचित
4	श्री चौधरी शरीफ अहमद, मुतावल्ली	वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (iv) के तहत निर्वाचित
नामित सदस्य		
5	सुश्री रज़िया सुल्ताना	वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (ग) के तहत नामित
6	सुश्री नईम फातिमा काज़मी	वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (घ) के तहत नामित
7	श्री अजीमुल हक, आईएस	वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (ड) के तहत नामित

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (राजस्व)—सह—मंडलीय आयुक्त

OFFICE OF THE PRINCIPAL SECRETARY-CUM-DIVISIONAL COMMISSIONER

(Department of Revenue)

(MINORITY BRANCH:HQ)

NOTIFICATION

Delhi, the 7th October, 2020

F. 36(52)/Coord./Div.Comm/2016/442-453.—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Waqf Act, 1995, (43 of 1995), read with Notification No. U. 11030/2/96 UTL-SO 572 (E) dated the 19th August, 1996, published in part-II, section 3, sub-section (ii) of Gazette of India, issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs. The Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints Mr. Amanatullah Khan, Member of Delhi Legislative Assembly, r/o A-9, Block-A, Khajoori Road, Joga Bai Extension, Jamia Nagar, Okhla, Delhi-110025, as an elected member of Delhi Waqf Board u/s 14(1) (b) (ii) of Waqf Act 1995, with immediate effect, for the remaining tenure of the present board constituted vide notification no. F.36(52)/Coord./Div.Comm/2016/10076, dated 27.08.2018.

The Members of Delhi Waqf Board listed below shall meet on 19.10.2020 at 5:00 PM, in the Conference Hall of the office of the Pr. Secretary (Revenue)-cum-Divisional Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5 Sham Nath Marg, Delhi-110054, to elect one member, amongst themselves, as the Chairperson of the said Board, for the above mentioned tenure of the present board. The meeting shall be presided over by the Pr. Secretary (Revenue), Govt. of NCT of Delhi, who shall conduct the proceedings for the election of the Chairperson.

S.No.	Name	Provision under which appointed
Elected Members		
1.	Mr. Parvez Hashmi, Ex- Muslim Member of Parliament	Elected under Sub-Clause (i) of Clause (b) of Sub-section (1) of Section 14 of the Waqf Act, 1995
2.	Mr. Amanatullah Khan, Member of Legislative Assembly	Elected under Sub-Clause (ii) of Clause (b) of Sub-section (1) of Section 14 of the Waqf Act, 1995
3.	Mr. Himal Akhtar, Member of Delhi State Bar Council	Elected under Sub-Clause (iii) of Clause (b) of Sub-section (1) of Section 14 of the Waqf Act, 1995
4	Mr. Chaudhary Shareef Ahmad, Mutawalli	Elected under Sub-Clause (iv) of Clause (b) of Sub-section (1) of Section 14 of the Waqf Act, 1995
Nominated Members		
5.	Ms. Razia Sultana	Nominated under Clause (c) of Sub-Section (1) of Section 14 of the Waqf Act, 1995
6.	Ms. Naeem Fatima Kazmi	Nominated under Clause (d) of Sub-Section (1) of Section 14 of the Waqf Act, 1995
7.	Mr. Azimul Haque, IAS	Nominated under Clause (e) of Sub-Section (1) of Section 14 of the Waqf Act, 1995

By Order and in the Name of the
Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KHIRWAR, Pr. Secy. (Revenue)-cum-Divisional Commissioner